(13)

अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का न्यायालय

आर0ई0आर केश सं0– 149/16–17

संझला मुर्मू बनाम् बैजुन बिटका मुर्मू वगै0

:–आदेश–:

2024

प्रस्तुत वाद आवेदक संझला मुर्मू, पिता–स्व0 मुन्शी मुर्मू, माता–बिटिया मरण्डी, सा0–तुलसीपुर, थाना–राजाभीठा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा–तुलसीपुर नं0–06 के जमाबंदी नं0–01, दाग नं0–276, के कुल रकवा–00–06–01 धूर भूमि से विपक्षी बैजुन बिटका मुर्मू, पिता–स्व0 प्रधान मुर्मू, सा0–बभनगाँवा, थाना–राजाभीठा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध किया है। तद्नुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से कारणपृच्छा दाखिल किया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–668/रा0, दिनांक–24.08.2022 द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा–तुलसीपुर नं0–06 के जमाबंदी नं0–01 के जमाबंदी रैयत–बैजनाथ हेम्ब्रम के पुत्री पक्ष के वंशज है। दोनो पक्षो के बीच प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में हक व स्वत्व को लेकर विवाद है। वादी प्रतिवादी का वादगत जमाबंदी नं0–01 के वंशज होने की पुष्टी अंचल कार्यालय, बोआरीजोर से निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र सं0–35, दिनांक–10.08.2005 एवं वंशावली प्रमाण–पत्र सं0–165, दिनांक–18.11.2016 से होता है। इस तरह यह मामला हक व स्वत्व का प्रतीत होता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रासंगिक भू–विवाद स्वत्व निर्धारण से संबंधित है। जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से आपेक्षित है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:21:21 +05:30
Location: 192.168.1.51